



2026:AHC:170678

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट-ए संख्या - 16967 सन् 2015**

राज नारायण

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

---

|                               |   |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|
| याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता     | : | योगीश कुमार सक्सेना   |
| प्रत्युत्तरदातागण के अधिवक्ता | : | मुख्य स्थायी अधिवक्ता |

---

**न्यायालय संख्या - 34**

(क्रमांक 45)

**माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री योगीश कुमार सक्सेना तथा प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान याचिका में विचारणीय एकमात्र शिकायत यह है कि दिनांक 01.09.2008 को दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर शासनादेश दिनांक 04.05.2010 के अनुसार याचिकाकर्ता को देय ₹4200/- के उच्चतर ग्रेड वेतन का वह अधिकारी है। उक्त लाभ की संस्तुति तहसीलदार/उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत रिपोर्ट में भी की गई थी, जिसका दिनांक 28.10.2014 के आक्षेपित आदेश में संज्ञान लिया गया है।
3. उक्त रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 एवं 4 निम्नानुसार हैं:

“3- श्री राजनारायण नियमित संग्रह अमीन ने दिनांक 01-09-1998 को कार्यभार ग्रहण किया और इनकी 10 वर्ष की सेवाएं दिनांक 01-09-2008 को पूर्ण हो चुकी हैं। इनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही प्रचलित नहीं हुई और इन्हें कोई दंड नहीं दिया गया। इनकी सेवाएं स्वच्छ एवं निरंतर रही हैं। श्री राजनारायण नियमित

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



संग्रह अमीन वेतनमान 3200-85-4900, पुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200, ग्रेड वेतन 2000 में कार्यरत हैं। दिनांक 01-09-2008 को इन्हें 7910 ग्रेड वेतन 2000 वेतन प्राप्त हो रहा है।

4- उपर्युक्त शासनादेशों के प्रावधानानुसार इनको उच्चिकृत वेतनमान 5500-9000, पुनरीक्षित वेतन संरचना में 9300-34800, ग्रेड वेतन 4200 में निम्न प्रकार वेतन का निर्धारण है।

1- वर्तमान वेतनमान - 5200-20200, ग्रेड वेतन - 2000

2- दिनांक 01-09-2008 को प्राप्त वेतनमान - 7910 + ग्रेड वेतन 2000 = 9910

3- एक वैकल्पिक वेतनवृद्धि 3% के साथ - 8210 + ग्रेड वेतन 2000 = 10210

4- उच्चिकृत (प्रोन्नित) वेतनमान - 9300-34800 + ग्रेड वेतन = 4200

5- दिनांक 01-09-2008 को उच्चिकृत वेतन - 9300 + ग्रेड वेतन 4200 = 13500 (देय 01-12-2008 से)

6- दिनांक 01-07-2009 को वेतन - 9710 + ग्रेड वेतन 4200 = 13910

7- दिनांक 01-07-2010 को वेतनमान - 10130 + ग्रेड वेतन 4200 = 14330

8- दिनांक 01-07-2011 को वेतन - 10560 + ग्रेड वेतन 4200 = 14760

अतः श्रीमानजी अवलोकन के उपरान्त सहमत की दशा में उपरोक्तानुसार प्रथम प्रोन्नित वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन 2000 से 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 स्वीकृत एवं उपरोक्तानुसार वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृति के उपरान्त वेतन आहरित का आदेश देना चाहें।

4. दूसरी ओर, दिनांक 28.10.2014 के आक्षेपित आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

“याचिकाकर्ता द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र दिनांकित 14-10-2014 डाक द्वारा भेजा गया, जो दिनांक 17-10-2014 को रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि तहसील बिधूना से अपर जिलाधिकारी को दिशा निर्देश हेतु भेजी



गई पत्रावली पर रू० 4200 पर ग्रेड वेतन निर्धारण में आपत्ति नहीं है, का उल्लेख है एवं पत्रावली पर रू० 4200 ग्रेड वेतन का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार वासिल बाकी नवीस की हठधर्मिता से रू० 2400 ग्रेड वेतन लगाकर नुकसान पहुँचाया गया। याचिकाकर्ता को पुरानी शासनादेश के तहत 14 वर्ष में पहला प्रोन्नति मिलना था परन्तु शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के तहत ए०सी०पी० के अन्तर्गत 10 वर्ष 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत सेवा के आधार पर याचिकाकर्ता को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड वेतन रू० 4200 मिलने का नियम है। उसे नहीं दिया गया एवं तहसीलदार बिधूना के आदेश दिनांक 28-5-2014 में दर्शाया कि बीमा का भुगतान कर दिया गया जबकि भुगतान नहीं मिला।

याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिस पर ग्रेड वेतन रू० 4200 निर्धारण का कोई आदेश उप जिलाधिकारी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा शासनादेश बिधूना द्वारा संख्या-वे०आ०-2561/दस-62 (एम) / 2008 वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 दिनांक 04 मई 2010 का उल्लेख करते हुये 10 वर्ष की अनवरत सेवा के आधार पर प्रथम पदोन्नति वेतनमान ग्रेड वेतन रू० 4200 दिये जाने का अनुरोध किया गया है, जो नियमानुसार देय नहीं है। क्योंकि उक्त शासनादेश दिनांक 4-5-2010 के प्रस्तर-3 में स्पष्ट अंकित है कि निर्धारित सेवा अवधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन पूर्व में देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेडवेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामले में सम्बन्धित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा। याचिकाकर्ता ग्रेडवेतन 2000 में कार्यरत था, जिसके अनुसार वेतन भुगतान किया जाता रहा। उक्त शासनादेश दिनांक 4-5-2010 के अनुसार 10 वर्ष की अनवरत सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन ए०सी०पी० का लाभ अगला ग्रेड वेतन रू० 2400 अनुमन्य था, जिसको उप जिलाधिकारी बिधूना द्वारा दिया गया।”



5. इस संबंध में, रिट याचिका के अनुच्छेद 7 में किए गए निम्नलिखित कथनों तथा उसके प्रत्युत्तर में प्रति-शपथपत्र में दिए गए उत्तर के संबंध में, उक्त आशय का कोई विशिष्ट खंडन नहीं किया गया है, जो प्रति-शपथपत्र के अनुच्छेद 7 से परिलक्षित होता है, जो निम्नानुसार है:

*“7. यह कि रिट याचिका के अनुच्छेद संख्या 7 की विषय-वस्तु, जिस प्रकार कही गई है, स्वीकार नहीं है, अतः उसका खंडन किया जाता है। इसके प्रत्युत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की सेवावधि के अनुसार उसे सभी सेवाजनित लाभ नियमानुसार प्रदान किए गए हैं।”*

6. इस दृष्टिकोण से, चूंकि उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रस्तुत रिपोर्ट, जिसे वर्तमान याचिका में संलग्नक-3 के रूप में संलग्न किया गया है, के अनुसार याचिकाकर्ता को आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना (ए.सी.पी.) के अंतर्गत 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने पर ₹4,200/- के ग्रेड वेतन का अधिकारी माना गया था, जिसे प्रतिवादियों द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि इसी प्रकार की स्थिति वाले व्यक्तियों को भी समान लाभ प्रदान किया गया था, जिसका जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश में संज्ञान लिया गया है। तथापि, मामले के उक्त पहलू का प्रति-शपथपत्र के प्रस्तर 12 में खंडन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त मौसमी संग्रह अमीन को ₹4,200/- का कोई ग्रेड वेतन प्रदान नहीं किया गया है, जिसका दावा याचिकाकर्ता द्वारा किया गया है।

7. आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता के दावे को शासनादेश दिनांक 04.05.2010 के दृष्टिगत खारिज किया गया है, जो निम्नानुसार है:

*“(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या-वे० आ०-2-1318/दस-59 (एम०)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-5 के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से, अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ*



मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

8. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी सेवक की पात्रता की तिथि से उसे अगला ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा। तथापि, यह भी प्रावधान किया गया है कि जब वित्तीय स्तरोंन्नयन किया जाता है और कुछ मामलों में ग्रेड वेतन से संबंधित स्थिति होती है, तो ऐसा ग्रेड वेतन, जो संबंधित सरकारी सेवक को पहले से प्रदान किया जा रहा है, तथा अगले पदोन्नति वाले ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि अगले पदोन्नति वाले ग्रेड वेतन का लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को केवल उनकी वास्तविक पदोन्नति होने पर ही प्रदान किया जाएगा। यह याचिकाकर्ता का स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता को अगले उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जा सकता, उससे पूर्व ही वह सेवानिवृत्त हो गया। इस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 28.10.2014 को पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं मिलती है।

9. तदनुसार, वर्तमान याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

13 अगस्त, 2026

शुभम आर्य